

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 407 सन 2021

अनवान :-

1. प्रेमकुमार पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. मामराज पुत्र खिंयाराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
2. चावली पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
3. राजेन्द्र पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
4. सुनिल कुमार पुत्र आदराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
5. नरेश कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
6. माया पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
7. ईमरती पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
8. विनोद कुमारी पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
9. विमला पुत्री भानीराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
10. आदराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
11. मुखराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
12. जयलाल पुत्र मामराज जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
13. गुडडी पुत्री मामराज जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
14. गोमती पुत्री मामराज जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
15. सुशीला पुत्री आदराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
16. मानता पुत्री आदराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
17. वन्दना पुत्री आदराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
18. बिदूबाला पुत्री आदराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 15/2/22

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 398/93 की कुल 10.1170 हैक् मे से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 399/395 की कुल 8.5240 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है ।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा खीयाराम वल्द नानूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा खीयाराम वल्द नानूराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई ।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा खीयाराम वल्द नानूराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है ।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है प्रतिवादी संख्या 2, 6 ता 9, 13 ता 18 वादी की बहने / बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 10 ता 12 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1, 6 ता 9, 13 ता 18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5, 10 ता 12 के पक्ष में किया जा चुका है । इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5, 10 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी है ।

नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,10 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता खीयाराम वल्द नानूराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 6 ता 9 ,13 ता 18 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,10 ता 12 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,10 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5, 10 ता 12 के नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 18 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 398/93 की कुल 10.1170 हैक् मे से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 399/395 की कुल 8.5240 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा खीयाराम वल्द नानूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा खीयाराम वल्द नानूराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा खीयाराम वल्द नानूराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1,6 ता 9 ,13 ता 18 वादी की बहने /बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 12 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ,13 ता 18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,10 ता 12 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,10 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मोहर

पेशकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरस्तारण फरमावे।

हमने उपयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 398/93 की कुल 10.1170हैक् मे से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 399/395 की कुल 8.5240हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि खीयाराम वल्द नानूराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा खीयाराम वल्द नानूराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा खीयाराम वल्द नानूराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1, 6 ता 9 , 13 ता 18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ,13 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर इकवाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 10 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काविल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1,6 ता 9 ,13 ता 18 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 73/1 की 3.3260हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ,10 ता 12 बहिव तथा खसरा न0 668/1 की 5.1980हैक् में वादी 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/3 हिस्सा तथा खसरा न0 424 की 5.0580हैक् व खसरा न0 665 की 5.0590हैक् कुल 10. 1170हैक् में मामराज के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा की जगह वादी 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या ,3 के नाम 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि वैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाव्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/11/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. प्रेमकुमार पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. मामराज पुत्र खियाराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
2. चावली पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
3. राजेन्द्र पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
4. सुनिल कुमार पुत्र आदराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
5. नरेश कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
6. माया पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
7. ईमरती पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
8. विनोद कुमारी पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
9. विमला पुत्री भानीराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
10. आदराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
11. मुखराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
12. जयलाल पुत्र मामराज जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
13. गुडडी पुत्री मामराज जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
14. गोमती पुत्री मामराज जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
15. सुशीला पुत्री आदराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
16. मानता पुत्री आदराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
17. वन्दना पुत्री आदराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
18. बिदूबाला पुत्री आदराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 407 सन 2021 निर्णय दिनांक- 15/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 73/1 की 3.3260हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ,10 ता ,12 वहिव तथा खसरा न0 668/1 की 5.1980हैक् में वादी 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/3 हिस्सा तथा खसरा न0 424 की 5.0580हैक् व खसरा न0 665 की 5.0590हैक् कुल 10.1170हैक् में मामराज के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा की जगहं वादी 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या ,3 के नाम 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर